संख्या-17/300/तीस-30-3-14-26बी/2012

प्रेषक,

संतोष कुमार रावत,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनॉक 11 फरवरी, 2014

विषय- वित्तीय वर्ष 2013-14 में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के लेखाशीर्ष-2235-04 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष की वित्तीय स्वीकृतियॉ शासनादेश संख्या-955/30-3-13-26बी/2012, दिनॉक 04-04-2013 द्वारा निर्गत की गयी है। वित्तीय वर्ष 2013-14 में वित्तीय स्वीकृतियॉ निर्गत किए जाने के सम्बन्ध में वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-1-640/दस-2013-231/2013, दिनॉक 28-03-2013 में निहित निर्देशों के अनुसार लेखाशीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-04-बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों की बस दुर्घटना हो जाने की दशा में आर्थिक सहायता-20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि रू0 2000 हजार (रू0 बीस लाख मात्र) के सापेक्ष 50 प्रतिशत धनराशि रू0 1000 हजार (रू0 दस लाख मात्र) की धनराशि उक्त शासनादेश संख्या-955/30-3-13/26बी/2012, दिनॉक 04-04-2013 द्वारा जारी की गयी है। अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि रू0 1000 हजार (रू0 दस लाख मात्र) अब वित्त विभाग की सहमति से निर्गत की जानी है।

2- इस सम्बन्ध में आपके पत्र संख्या-125ए/2014-64ए/2013, दिनॉक 28-01-2014 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लेखाशीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-04-बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों की बस दुर्घटना हो जाने की दशा में आर्थिक सहायता-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि रू0 2000 हजार (रू0 बीस लाख मात्र) के सापेक्ष 50 प्रतिशत धनराशि रू0 1000 हजार (रू0 दस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- शासनादेश संख्या-955/30-3-13/26बी/2012, दिनॉक 04-04-2013 में निहित प्रतिबन्ध/शर्तें यथावत् लागू रहेंगे।

4- यह आदेश वित्त विभाग की अशा0 संख्या-ई-9-54/दस-2014, दिनॉक 10 फरवरी, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

ह0

(संतोष कुमार रावत)
अनु सचिव।

2/-

http://sirsaonline.up.nic.in

संख्या-17/300(1)/तीस-3-2014, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- नियोजन अनुभाग-4
5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय परिवहन आयुक्त, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
7- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ ।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0
(संतोष कुमार रावत)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in